



IndianOil
A Maharatna
Company

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग)
Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division)

पानीपत मण्डल कार्यालय, Panipat Divisional Office,

पानीपत मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, Panipat Marketing Complex,

गाँव बहोली, Vill.- Baholi, डाकखाना : पानीपत रिफ़ाइनरी P.O. Panipat Refinery,

जिला: पानीपत (हरियाणा) Distt.- Panipat (Haryana) पिन / Pin-132140

फोन / Tel #: 0180-2578633, फ़ैक्स / Fax #: 2578625

Ref No: PDO/RO/Kiran Fstn

Date: 17.10.2014

Reply to Observation

Proposal no.:FP/HR/Others/7482/2014

Subject: NOC for diversion of forest land of 0.0628 hectare area as per NHAI norms, for our Existing Retail Outlet at Shahzadpur - Naraingarh Road, NH 72, KM Stone 28.7, RHS, Village Banondi, Distt. Ambala (Haryana)

Following details were sought by forest department on 17.10.2014 in respect of subject application:

1. Upload old (Existing Retail Outlet) sanction of GOI:
Reply: An amount of Rs. 40640/- was deposited to you vides our letter ref. no. DEL/SALES/HAR/17; dated 30.11.2004 in response to your letter no. 479; dated 02.11.2004, but NOC is still awaited. (Copy attached).
2. Toposheet not uploaded:
Reply: PDF copy of Toposheet from survey of India is already attached with the proposal.
3. Following additional informations are also being submitted:
 - i) Approval for access permission was accorded by MORT&H vides their letter reference no. RW/NH-12017/174/2004/HR/NH-1; dated 9th Feb 2005. (Copy attached).
 - ii) The said land does not fall in any control area declared by the Department of Town & Country Planning, Haryana. Memo no. 2865; dated 22.06.04 from town planner is attached for your reference.

In view of the above, we request you to issue the NOC for the subject Retail Outlet.

Thanking You

Yours Faithfully,
For Indian Oil Corporation Ltd. (MD)


Sr. Divisional Retail Sales Manager

ReplytoqueryKiranFstnBanondi.docx

पंजीकृत कार्यालय: जी-9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई - 400 051

Regd. Office: G-9, Ali Yavar Jung marg, Bandra (East) Mumbai - 400 051 (India)

Nirmal Singh

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

असम ऑयल प्रभाग : इंडियन ऑयल भवन, सातवीं मंजिल,
1, श्री अरविन्द मार्ग, यूसुफ सराय, नई दिल्ली-110016

Indian Oil Corporation Limited

Assam Oil Division : Indian Oil Bhavan, 7th Floor,
1, Sri Aurobindo Marg, Yusuf Sarai, New Delhi-110016
Tel. : 26511264, 26601262, 26601113, 26518911
Fax : 011-26512746



202

असम ऑयल प्रभाग

Assam Oil Division

DEL/SALES/HAR/17

30th November, 2004

Divisional Forest Officer,
Ambala Forest Division,
Ambala.

Sir,

Retail Outlet at Nahar Ambala Road (NH-72), Km. 28.7, Banondi, District, Ambala

This has reference to your letter no. 749 dated 2.11.2004 (copy enclosed) where in you have advised us to deposit Rs.40640/- (Rupees forty thousand six hundred and forty only) for using forest land for entrance and exit of Retail Outlet (Petrol Pump) at banondi in Ambala (NH-72) under Forest Conservation Rules 1980 Clause 2.

As suggested we are sending herewith a demand draft (No. 121254 dated 17.11.04 of SBI, Ambala Contonment, Ambala) of Rs.40640.00 (Rupees forty thousand six hundred and forty only) in favour of District Forest Officer, Ambala for compensatory afforestation.

This is for your information and necessary action please.

Thanking you,

Yours faithfully,
Indian Oil Corporation Limited
(Assam Oil Division)

(A C SARMA)
Chief Manager (Coordn.)

क्रमांक:

दिनांक:

200

प्रेषक: च०म०अ०, अम्बाला ।

सेवा में: वन संरक्षक, उत्तरी पारि,
हरियाणा, पंचकुला


विषय: मै० इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० द्वारा अम्बाला-काला अम्ब रोड कि०मी० 28.7 नजदीक गाँव बनाई पर पेट्रोल पम्प लगाने हेतु रास्ता को अनुमति देने के लिए।
मै० इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० द्वारा अम्बाला-काला अम्ब रोड कि०मी० 28.7

एन०एच०-72 नजदीक गाँव बनाई पेट्रोल पम्प लगाया जा रहा है जिसके लिए वृजर एजेंसी द्वारा सरकारी वन क्षेत्र से रास्ता लेने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में 232 स्के०मी० वन भूमि को आवश्यकता है। वृजर एजेंसी द्वारा क्षतिपूर्ति पौधारोपण हेतु 40640/- रु० की राशि जमा करवाई जायेगी। इस राशि से अम्बाला नारायणगढ़ रोड कि०मी० 19 से 20 बांये सुरक्षित वन क्षेत्र में पौधारोपण करवाया जायेगा जो कि पौधारोपण हेतु सही भूमि है। आपकी सेवा में निम्नलिखित अभिलेख भेजकर स्वीकृति हेतु अनुरोध किया जाता है:-

- 1- प्रार्थना पत्र चार प्रतियाँ।
- 2- निरीक्षण रिपोर्ट चार प्रतियाँ।
- 3- नक्शा चार प्रतियाँ जिस पर क्षतिपूर्ति पौधारोपण वन क्षेत्र मार्क किया हुआ है।

कृपया स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न-उपरोक्त।


वन मण्डल अधिकारी,
अम्बाला वन मण्डल,
अम्बाला।

दिनांक: 2-11-04

सू०क्रमांक: 749

एक प्रति मै० इण्डियन आयल कारपोरेशन लि०-आसाम ऑयल डिवीजन इण्डियन आयल भवन, 7वीं मंजिल, युसुफ सराय, नई दिल्ली-110016 को क्षतिपूर्ति पौधारोपण की स्कीम की प्रति साथ भेजकर लिखा जाता है कि आप 40640/-रु० की राशि शीघ्र जमा करवायें।


वन मण्डल अधिकारी,
अम्बाला वन मण्डल,
अम्बाला।

81

प्रेषक

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला ।

सेवा में

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग ।

क्रमांक: 4750

दिनांक: 21/2/05

विषय: वन मण्डल एवं जिला अम्बाला, हरियाणा में एन0एच0 72 कि0मी0 स्टोन 28.7 गांव
बनोदी में पेट्रोल पम्प के रास्ते हेतु 0.0232 है0 वन भूमि का उपयोग ।

मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा-1, पंचकूला ने इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, असम
आयल प्रभाग नई दिल्ली के अनुरोध पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 अधीन उक्त प्रस्ताव
भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा है । पेट्रोल पम्प के रास्ते हेतु 0.0232 है0 वन भूमि
उपयोग की जानी है तथा इसमें 7 वृक्ष बाधक है । जोकि कटवाए जाने है । इसकी क्षतिपूर्ति
में वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला ने 10418/- रुपये क्षतिपूर्ति पौधारोपण, 816/- रुपये
बाधक वृक्षों की कटाई खर्च तथा 21344/- रुपये नैट प्रेजैन्ट वैल्यु कुल 40638/- अर्थात
40640/- रुपये की राशि की स्कीम बनाई है । जो प्रयोक्ता एजैन्सी से प्राप्त की जानी है
। भारत सरकार की स्वीकृति उपरान्त क्षतिपूर्ति पौधारोपण राशि से अम्बाला नाराणगढ-काला
अम्ब रोड कि0मी0 नं0 19-20 के बाई ओर 70 पौधे लगाए जाने हैं ।

अतः उक्त स्थिति अनुसार प्रस्ताव की 2 प्रतियाँ संस्तुति उपरान्त भारत सरकार की
स्वीकृति हेतु संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न/उपरोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला ।

पृ0क्रमांक: 4751

दिनांक: 21/2/05

18/2/05

एक प्रति मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा-1, पंचकूला को उनके पत्र क्रमांक 6180 दिनांक
18-2-2005 के संदर्भ में डीलरशीप वारे सूचना भेजने हेतु प्रेषित है ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला ।

21/2/05

18/2/05